—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 12/2025

उनवान

पंकज अग्रवाल पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष वित एवं वाणिज्यिक इकाई आदित्य सीमेंट, वर्क्स आदित्यपुरम तहसील व जिला चितौडगढ

—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री रणजीत रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

—— अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 30/5/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 26/4854 रकबा 0.16, 26 रकबा 0.92, 23 रकबा 0.79 व अन्य भूमि आवेदनकर्ता की खातेदारी है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 6408/27 सडक भूमि से हाल खसरा नम्बर 6409/27 का उपयोग करता है। राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित नही है। प्रार्थी के पास कोई अन्य रास्ता नही है। अतः प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पेरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 26/4854 रकबा 0.16, 26 रकबा 0.92, 23 रकबा 0.79 व अन्य भूमि आवेदनकर्ता की खातेदारी है। हाल खसरा नम्बर 6409/27 रकबा 0.6768 गै.मु. पहाडी सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आराजी मुतनाजा पर आवागमन हेतु वर्तमान में मोके पर उक्त खसरा नम्बर में से लघुतम मार्ग है। इसके अलावा राजस्व अभिलेख में अन्य कोई रास्ता दर्ज नही है। कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही होना बताया गया है। हाल खसरा नम्बर 6409/27 में से 91.5 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास [illegible] के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग आवागमन हेतु उपलब्ध नही है। प्रार्थी को मार्ग की आवश्यकता सिद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:27 IST
Reason: SelfAttested

......2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

होती है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की गयी है।

उक्तानुसारः **प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 6409/27 में से 10 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा कुल रकबा 91.5 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. रास्ता सिवयचक खातें में दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले 57109/अक्षरे सतावन हजार एक सौ नो रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:27 IST
Reason: SelfAttested